

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 1 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 785(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में,--

- (i) पृष्ठ 122 की पंक्ति 30 में "जिन पर संदेय शुल्क प्रति परेषण एक सौ रुपए " के स्थान पर "जिन का (सी आई एफ) मूल्य एक हजार रुपए" पढ़ें ;

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार